मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय सूची

खण्ड :

अध्याय—एक

१. संक्षिप्त नाम.

अध्याय—दो

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का संख्यांक ४५ का संशोधन.

३. धारा ३५४ क का लोप.

४. धारा ३५४ ख का संशोधन.

५. धारा ३५४ घ का संशोधन.

६. धारा ३७६कक का अंत:स्थापन.

७. धारा ३७६घक का अंत:स्थापन.

८. धारा ४९३ क का अंत:स्थापन.

अध्याय—तीन

९. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, क्रमांक १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

१०. धारा २९ का संशोधन.

११. धारा ११० का संशोधन.

१२. धारा १९८ का संशोधन.

१३. धारा ४३७ का संशोधन.

१४. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

अध्याय—दो

भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय दण्ड संहिता, (१८६० का ४५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३५४क का लोप.

३. भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००४ (क्रमांक १४ सन् २००४) द्वारा यथा अंत: स्थापित मूल अधिनियम की धारा ३५४क का लोप किया जाए.

धारा ३५४ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५४ख में, शब्द "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा", के स्थान पर शब्द "वह प्रथम बार दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कठोर करावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५४घ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३५४घ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२)जो कोई भी पीछा करने का अपराध कारित करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में पर्याप्त तथा विशेष कारणों को उल्लिखित करते हुए, विनिर्दिष्ट न्यूनतम कारावास से कम कालावधि के कारावास का कोई दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा.".